भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1907

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भूजल कार्य योजना की समीक्षा

1907. श्री राजा राम सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भूजल उपयोग को विनियमित करने और मौजूदा भंडारों के संरक्षण के लिए 2070 तक एक बहु-दशकीय कार्य योजना की घोषणा के बावजूद, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन नगण्य है जिससे बेंगलुरु और कश्मीर जैसे स्थानों में भूजल स्तर में तेजी से कमी आ रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार बोरवेल ड्रिलिंग और वर्षा जल संचयन आदेशों के अनुपालन से संबंधित उल्लंघनों का किस प्रकार निपटान कर रही है और राज्यों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या 2070 के जल विनियमन लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो स्पष्ट लक्ष्य और जवाबदेही ढाँचे स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(घ) अपरिवर्तनीय भूजल पतन से पहले योजना को क्रियान्वित करने और पहचाने गए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यवार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार भूजल कार्य योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने और सुधार की सिफारिश करने के लिए छह महीने के भीतर इसकी स्वतंत्र निष्पादन समीक्षा कराएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा बेंगलुरु और कश्मीर सहित पूरे देश में प्रति वर्ष चार बार भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। कश्मीर में (घाटी के 6 जिलों को कवर करते

हुए), मानसून पश्चात (नवंबर) 2024 के दौरान एकत्र किए गए भूजल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि लगभग 96.7% मॉनिटरिंग किए गए कूपों में जल स्तर 10 एमबीजीएल (जमीनी स्तर से नीचे मीटर) से कम है। इसी प्रकार, बेंगलूरु में (बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण दोनों जिलों के लिए) संयुक्त रूप से, आंकडे यह दर्शाते हैं कि मॉनीटर किए गए लगभग 96% कुओं में जल स्तर 10 एमबीजीएल से कम है।

(ख): भूजल संसाधनों के समुचित विनियमन और प्रबंधन की दिशा में राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए विनियामक ढांचे का प्रावधान करते हुए एक मॉडल भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण) विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। यह मॉडल बिल सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है और अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए दिनांक 24.09.2020 के अखिल भारतीय प्रयोज्यता वाले दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार भूजल की निकासी का विनियमन किया जा रहा है। दिशा-निर्देशों में गैर-कानूनी निष्कर्षण को विनियमित करने के लिए कड़े उपाय किए गए हैं जिनमें भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (ईसी) प्रभार, जुर्माना लगाना और यहां तक कि कुछ मामलों में बोरवेलों को सील करना भी शामिल है।

मंत्रालय द्वारा नियमित पत्राचारों, सेमिनारों, राज्य जल मंत्रियों और मुख्य सचिव स्तर के सम्मेलनों तथा सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अंतर्विभागीय संचालन समिति (एनआईएससी) के माध्यम से भूजल संबंधी मामलों सहित भूजल संसाधनों के विवेकपूर्ण विनियमन और सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। सीजीडब्ल्यूए द्वारा राज्यों के साथ नियमित रूप से संवाद और विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि अपने स्वयं के विनियामक तंत्र स्थापित करें एवं स्थापित विनियामक तंत्र को अधिक प्रभावी बना सके।

(ग) और (घ): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सीजीडब्ल्यूबी और सीजीडब्ल्यूए जैसे संगठनों के माध्यम से देश में भूजल स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा की जा रही है तथा सुधार के लिए

लक्षित योजनाओं और उपायों का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्लूएम एवं आर) स्कीम के तहत, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नियमित रूप से पूरे देश में भूजल स्तर और गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है और राज्यों के समन्वय से वार्षिक भूजल संसाधन का आकलन भी किया जाता है। इन रिपोर्टों को सभी हितधारकों को उपलब्ध कराया जाता है तथा इन्हें सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाता है ताकि संवेदनशील और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शीघ्र कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके अतिरिक्त, देश में भूजल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- सरकार द्वारा वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, जेएसए 2025 को पूरे देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें अति-दोहित और गंभीर जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक व्यापक अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इसे साझा किया गया है, जिसमें 185 बीसीएम (बिलियन घन मीटर) जल का संचयन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।

- भारत सरकार द्वारा 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य थीम सामुदायिक नेतृत्व में भूजल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन और मांग प्रबंधन है।

- कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

- भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ पुनरुद्धार किया गया है।

- माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर देश में वर्षा जल संचयन को एक जन आंदोलन बनाने के दृष्टिकोण से जल शक्ति अभियान की गति को अधिक सुदृढ़ करते हुए जल संचय जन भागीदारी: भारत में जल स्थिरता के लिए एक समुदाय-संचालित पथ का शुभारंभ किया गया है। सामुदायिक स्वामित्व और दायित्व-बोध को बढ़ावा देते हुए यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुरूप लागत प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है।

(ङ): जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन करना मुख्यत: राज्यों का दायित्व है। इसलिए, अधिकांश जल क्षेत्र की स्कीम और योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। जिन स्कीमों में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से केंद्रीय योगदान शामिल होता है, उन मामलों में केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समीक्षा और मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित किया जाता है। ऐसी सभी स्कीमों के लिए प्रभाव आकलन भी नियमित रूप से किया जाता है और समय-समय पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी किया जाता है जिससे सुधार उपायों को अपनाने और योजना के डिजाइन में सुधार करने में सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उपाय भूजल संबंधी मामलों से निपटने में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करते हैं।

****